न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा (राजस्थान)

- **पीठासीन अधिकारी** :— **रोज़ी कंसारा, आर.जे.एस.**
- **नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या** :— **1089/2020**
- **सीआईएस नंबर** :— **1089/2020**
- **एफआईआर नंबर** :— **61/2020**
- **पुलिस थाना** :— **कल्याणपुर**
- **सीएनआर नंबर** :— **RJBA020026222020**

राजस्थान राज्य **—अभियोगी**

बनाम

जितेंद्र उर्फ जितेश पुत्र अमराराम, उम्र 23 साल, निवासी चौधरीयों की वास कल्याणपुर पुलिस थाना कल्याणपुर, जिला बाड़मेर।

—अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय दंड संहिता

उपस्थित

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, वास्ते राज. राज्य।
2. श्री दिलीप सिंह भाटी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त की ओर से।

—:प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:—

अपराध की तिथि	23.08.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	24.08.2020
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	21.12.2020
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	21.12.2020
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तिथि	07.09.2022
बयान मुलजिम लिए जाने की तिथि	27.01.2025
निर्णय आरक्षित किये जाने की तिथि	15.07.2026
निर्णय की तिथि	15.07.2026
दंड दिये जाने की तिथि (यदि हो तो)	परिवीक्षा का लाभ

निर्णय **दिनांक :— 15.07.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी नरेंद्र ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट उपस्थित थाना होकर इस आशय की पेश की कि वह दिनांक 23.08.2020 करीबन 06 बजे अपने घर पर जा रहा था। तभी बीच रास्ते में उपतहसील कल्याणपुर के पास जितेंद्र पुत्र

अमराराम निवासी कल्याणपुर ने उसके उपर हमला किया व चैन सोने की तोड़कर भागने लगा और उसके साथ मारपीट की। उस बीच बचाव में उसके शरीर पर चोटें लगी व खून भी निकला......इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट पर थानाधिकारी पुलिस कल्याणपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 61/2020 अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दंड संहिता में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दंड संहिता में प्रथमदृष्टया मामला बनना पाया जाने से अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 21.12.2020 को प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

3. प्रकरण में दिनांक 21.12.2020 को अभियुक्त जितेंद्र को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दंड संहिता का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाह पेश किये गये–

कम संख्या	**गवाह का नाम**	**पीडब्ल्यू**
1	नरेंद्र चौधरी	पीडब्ल्यू 01
2	लक्ष्मण चौधरी	पीडब्ल्यू 02
3	डॉ चंद्रेश चौधरी	पीडब्ल्यू 03
4	जसाराम	पीडब्ल्यू 04
5	राकेश	पीडब्ल्यू 05
6	प्रतापराम	पीडब्ल्यू 06
7	मादाराम	पीडब्ल्यू 07
8	डूंगराराम	पीडब्ल्यू 08

5. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये–

कम संख्या	**प्रदर्श पी**	**दस्तावेज का नाम**
1	प्रदर्श पी 01	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी 02	घटनास्थल का नक्शा मौका
3	प्रदर्श पी 03	चोट प्रतिवेदन नरेंद्र
4	प्रदर्श पी 04	पुलिस बयान मादाराम

6. अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से निम्न दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये–

क्रम संख्या	**प्रदर्श पी**	**दस्तावेज का नाम**
1	प्रदर्श डी 01	पुलिस बयान लक्ष्मण
2	प्रदर्श डी 02	पुलिस बयान नरेंद्र

7. अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के पृथक से किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष के साक्षी के कथनों को गलत होना बताकर स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करनी चाही।

8. बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.08.2020 को समय करीबन 06:00 बजे परिवादी नरेंद्र को उसकी इच्छित दिशा में जाते हुए रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा परिवादी नरेंद्र के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण चोटें पहुंचाई ?

2. यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र है ?

9. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली पर आई साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है इसलिए अभियुक्त को आरोपित अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की।

10. सहायक अभियोजन अधिकारी ने अधिवक्ता अभियुक्त के तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया है कि पत्रावली पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जावे।

11. इस संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन करें तो अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पीडब्ल्यू 01 नरेंद्र चौधरी** ने अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 23.08.2020 को शाम करीबन 6.00 बजे एक्टीवा से अपने की तरफ वापस जा रहा था। जैसे ही वह उप–तहसील कार्यालय कल्याणपुर पहुंचा तो उसके पीछे से जितेंद्र एक्टीवा से आया तथा आकर उसका रास्ता रोककर उसके साथ थापों–मुक्कों से मारपीट करने लगा, जिससे उसके मुंह, हाथ व घुटने पर चोटें आईं। मारपीट होते देख उसके पीछे चल रहे लक्ष्मण ने आकर जितेंद्र से उसका बीचबचाव करवाया। ताबाद उसने घटना की सूचना पुलिस थाना कल्याणपुर में दी, जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना के

अगले रोज पुलिस मौके पर आई थी। घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका उसकी निशादेही पर मुर्तिब किया था जो प्रदर्श पी 02 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका बनाते समय उसके साथ जसाराम व प्रतापराम भी मौके पर मौजूद थे। उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना सीएचसी कल्याणपुर में हुआ था। उक्त गवाह ने दौराने जिरह यह कथन किया है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 उसकी स्वयं की कलमी है। रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में घटना शाम के समय होने का लिखा हुआ नहीं है। रिपोर्ट उसने खुद ने उसके मन से पुलिस थाना में बैठकर लिखी थी। उसके शरीर पर आई चोटों बाबत रिपोर्ट में अंकित है। उसके भाई लक्ष्मण द्वारा उसके पीछे आना और उसे घटना स्थन पर छुड़ाना यह बात प्रदर्श पी 01 में लिखी हुई नहीं है। पुलिस मौके पर दूसरे दिन सुबह 11–12 बजे आई थी। उसे नहीं पता जितेंद्र के स्कूटी के नंबर क्या थे। जितेंद्र के स्कूटी पर आने की बात रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में लिखी हुई नहीं है। उनके बीच झगड़ा 15–20 मिनट चला।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह गवाह **पीडब्ल्यू–2 लक्ष्मण चौधरी** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 23.08.2020 को शाम करीबन 6.00 बजे अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर की तरफ वापस आ रहा था। उसके आगे नरेंद्र चौधरी अपनी एक्टीवा से कल्याणपुर गांव से घर की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह उप–तहसील कार्यालय कल्याणपुर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके आगे चल रहे नरेंद्र चौधरी को जितेंद्र उसके पीछे से आया और नरेंद्र को रोककर उसके साथ में थापों–मुक्कों से मारपीट करने लगा। मारपीट होते देख वह तुरंत मौके पर पहुंचा तथा नरेंद्र का जितेंद्र से बीच–बचाव करवाया। मारपीट से नरेंद्र के घुटने, गाल व बांये हाथ पर चोटें आई थीं। उक्त घटना उसके सामने हुई थी। वह मुलजिम जितेंद्र को चेहरे से पहचानता है। उक्त गवाह ने दौराने जिरह कथन किया कि रिपोर्ट उसने कल्याणपुर थाने में लिखवाई थी किससे लिखवाई थी उसका नाम उसे याद नहीं। फिर कथन किया कि शायद विनोद ने रिपोर्ट लिखी थी। रिपोर्ट उसने पढ़ी थी। प्रदर्श पी 02 में वक्त घटना मौके पर पहुंच कर नरेंद्र को छुड़वाया हो उसका नाम लिखा हुआ नहीं है। घटना के आधा घंटा बाद वे थाना पहुंच गये थे।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह गवाह **पीडब्ल्यू–3 डॉ चंद्रेश चौधरी** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 23.09.2020 को सीएचसी कल्याणपुर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात था, उस रोज पुलिस थाना कल्याणपुर की तहरीर पर मजरूब नरेंद्र की चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन पत्र प्रदर्श पी 03 तैयार किया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मजरूब के पहचान चिन्ह एवं ई से एफ चोटों

का विवरण अंकित है। चोट संख्या 1 रगड़ 6 गुणा 6 सेमी दायां घुटने, चोट संख्या 02 कट 1 गुणा सेमी 0.5 सेमी चिन पर चमड़ी तक गहरा, चोट संख्या 03 रगड़ 1.5 गुणा सेमी 1 सेमी बायें हाथ पर, चोट संख्या 4 रगड़ 1 गुणा सेमी 1 सेमी बायें हथेली में। चोट संख्या 5–रगड़ 1.5 गुणा सेमी 1.5 सेमी, दाये कलाई के पीछे चोट संख्या 6–रगड़ 1 गुणा सेमी 1 सेमी दाई कलाई के ज्वाईंट पर सभी प्रकार की चोटें साधारण प्रकृति एवं भोंटे हथियार से कारित की गई। सभी चोटें ताजा थी। उक्त गवाह ने दौराने जिरह यह कथन किया कि प्रदर्श पी 03 में उल्लेखित सभी चोटें गिरने से आ सकती है। उक्त सभी चोटें स्वकारित भी हो सकती है। वह मेडिकल ज्यूरिस्ट नहीं है। वह ओर्थोपेडिक विशेषज्ञ नहीं है। वह रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है। प्रदर्श पी 03 पर मजरूब के हस्ताक्षर नहीं है।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह गवाह **पीडब्ल्यू–4 जसाराम** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि दिनांक 24.08.2020 को पुलिस ने मौका नक्शा उसके सामने बनाया। नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 है। मौतबीरान प्रतापाराम मौजूद था। प्रदर्श पी 02 पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह ने दौराने जिरह कथन किया कि नक्शा मौका कौनसी तारीख को बनाया उसे याद नहीं है। समय भी उसे याद नहीं है। मौके पर छह लोगों के अलावा वहां और कोई मौजूद नहीं था।

15. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह गवाह **पीडब्ल्यू–5 राकेश** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि साक्ष्य से करीब डेढ साल पहले दो से तीन बजे वह क्रिकेट खेलने गये। उसने कोई घटना नहीं देखी।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह गवाह **पीडब्ल्यू–6 प्रतापाराम** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि दिनांक 24.08.2020 को पुलिस ने उसके सामने मौका नक्शा की कार्यवाही नहीं की थी। प्रदर्श पी 02 पर उसके हस्ताक्षर है।

17. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह गवाह **पीडब्ल्यू–7 मादाराम** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि साक्ष्य से करीब सवा तीन साल पहले शाम के करीब 6 बजे के आसपास वह अपने खेत से घर जा रहा था। तहसील ऑफिस के पास नरेंद्र और जितेंद्र जो कि दोनों अलग–अलग स्कूटी पर थे। इनमें से नरेंद्र ने जितेंद्र के आड़ा फिरकर उसके साथ मारपीट की। उक्त गवाह को सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। एपीओ द्वारा की गई जिरह में गवाह कथन करता है कि यह कहना गलत है कि नरेंद्र की स्कूटी के आड़े जितेंद्र ने स्कूटी लगाई थी और जितेंद्र ने नरेंद्र के साथ मारपीट की थी। उक्त गवाह ने दौराने जिरह कथन किया कि नरेंद्र व जितेंद्र दोनों आपस में भाई है।

किस दिनांक, किस वार को वह खेत जा रहा था, उसे याद नहीं है। उसके सामने कोई घ टना नहीं हुई थी। उसके सामने कोई घटना कारित नहीं हुई थी और न ही उसने कोई घ टना होते हुए देखी थी।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह गवाह **पीडब्ल्यू–8 डूंगराराम** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 24.08.2020 को पुलिस थाना कल्याणपुर में हैड कॉनि के पद पर कार्यरत था। उस रोज प्रकरण संख्या 61/20 अंतर्गत धारा 341, 323 भादस की पत्रावली वास्ते अनुसंधान उसे सुपुर्द की थी। जिस पर दौराने अनुसंधान दिनांक 24.08.2020 को घटनास्थल कल्याणपुर पहुंच परिवादी नरेंद्र चौधरी की निशादेही पर रूबरू मौतबीरान जसाराम, प्रतापराम के घटनास्थल का नक्शा मौका, हालात मौका प्रदर्श पी 02 मुर्तिब किया था, जिस पर उसके, मौतबीरान एवं परिवादी नरेंद्र चौधरी के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान परिवादी नरेंद्र, गवाह लक्ष्मण, राकेश, मादाराम के कथन 161 सीआरपीसी लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली की। मजरूब नरेंद्र कुमार का चोट प्रतिवेदन पत्र प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया जो प्रदर्श पी 03 है। उक्त गवाह ने दौराने जिरह कथन किया कि प्रदर्श पी 01 पुलिस रिपोर्ट 24 घंटा देरीना पेश हुई, यह तथ्य उसकी तफ्तीश में आया था। प्रदर्श पी 01 में दर्ज करने का समय नहीं है। मजरूब के शरीर पर कहां–कहां चोट लगी, यह प्रथम सूचना में उल्लेखित नहीं है। गवाह लक्ष्मण का वक्त घटना मौके पर आने की बात प्रदर्श पी 01 में अंकित नहीं है। गवाह लक्ष्मण मजरूब का सगा भाई है।

19. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में समग्र रूप से बहस अंतिम सुनने के पश्चात पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 08 गवाह को परीक्षित करवाया गया है। प्रकरण में परिवादी नरेंद्र की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 प्रस्तुत किये जाने पर हस्तगत प्रकरण संस्थित होकर इस स्तर पर पहुंचा है। प्रकरण में सर्वप्रथम परिवादी नरेंद्र पी डब्ल्यू 01 की साक्ष्य का अवलोकन करें तो परिवादी अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि वह दिनांक 23.08.2020 को शाम करीब 06.00 बजे एक्टीवा से अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। उसके पीछे से जितेंद्र एक्टीवा से आया और आकर उसका रास्ता रोककर उसके साथ थापों–मुक्कों से मारपीट करने लगाा, जिससे उसके मुंह, हाथ, घुटने में चोटें आईं। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया, परंतु ऐसा कोई तात्विक विरोधाभास उभरकर सामने नहीं आया, जिससे उक्त गवाह की साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। उक्त गवाह अपनी साक्ष्य में यह भी कथन करता है कि

मारपीट होते देख उसके पीछे चल रहे लक्ष्मण ने आकर जितेंद्र से उसका बीच–बचाव कराया। उक्त गवाह अपनी जिरह में भी कथन करता है कि लक्ष्मण ने उसे छुड़ाया था व इस बात को गलत होना बताता है कि लक्ष्मण मौके पर छुड़ाने नहीं आया हो और उसका भाई होने से उसने बाद में उसको गवाह बनाया हो। वहीं प्रकरण के उक्त प्रत्यक्षदर्शी गवाह लक्ष्मण पीडब्ल्यू 02 की साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 23.08.2020 को शाम करीब 06:00 बजे वह अपनी मोटरसाइकिल पर अपने घर की तरफ वापस जा रहा था उसके आगे नरेंद्र अपनी एक्टीवा से कल्याणपुर गांव से अपने घर की तरफ जा रहा था, जैसे ही उप तहसीलदार कार्यालय कल्याणपुर पहुंचा तो उसने देखा की उसके आगे चल रहे नरेंद्र को जितेंद्र ने पीछे से आकर रोका उसके साथ थापों–मुक्कों से मारपीट करने लगा। मारपीट होते देख वह तुरंत मौके पर पहुंचा तथा नरेंद्र का जितेंद्र से बीच–बचाव कराया। मारपीट में नरेंद्र के घुटने, गाल व बाएं हाथ पर चोटें आई थी। उक्त गवाह अपनी जिरह में भी अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा पूछ जाने पर इस बात को गलत होना बताता है कि वह घटना के वक्त मौके पर उपस्थित नहीं था। इस प्रकार प्रकरण के परिवादी नरेंद्र तथा प्रकरण के चक्षुदर्शी गवाह लक्ष्मण द्वारा अपनी साक्ष्य में परिवादी नरेंद्र के साथ मारपीट होने के कथन किये गये हैं। गवाह लक्ष्मण पीडब्ल्यू 02 अपनी जिरह में यद्य पि यह कथन करता है कि पुलिस थाने वह और नरेंद्र साथ–साथ गये थे, थाने में वे महेश जी ढाका थानेदार साहब से मिले फिर उनसे सला–मसवरा करके रिपोर्ट दी थी तथा गवाह नरेंद्र पीडब्ल्यू 01 अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि रिपोर्ट उसने खुद ने उसके मन से पुलिस थाना में बैठकर लिखी थी, परंतु उक्त गवाहों के ये कथन अभियोजन की मूल कहानी को समाप्त नहीं करते है।

इस विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत **In Appabhai & Anr. v. State of Gujarat, AIR 1988 SC 696,** wherein Hon'ble Apex Court has cautioned the courts below not to give undue importance to minor discrepancies which do not shake the basic version of the prosecution case. The court by calling into aid its vast experience of men and matters in different cases must evaluate the entire material on record by excluding the exaggerated version given by any witness for the reason that witnesses now-a- days go on adding embellishments to their version perhaps for the fear of

their testimony being rejected by the court However., the courts should not dis-believe the evidence of such witnesse altogether if they are otherwise trustworthy.

अतः ऐसे उपरोक्त गवाहों/आहतगण की साक्ष्य से अभियुक्त के घटना में संलिप्त होने के तथ्य की पुष्टि होती है।

अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह डॉक्टर चंद्रेश चौधरी पीडब्ल्यू 03 को भी परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह अपनी साक्ष्य में परिवादी नरेन्द्र को आई चोटों की पुष्टि करते हुए कथन करता है कि उसने परिवादी नरेंद्र का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 03 तैयार किया था। चोट संख्या 01 दांये घुटने में चोट, चांट संख्या 02 चिन, चोट संख्या 03 बांये हाथ में, चोट संख्या 04 बांयी हथेली में, चोट संख्या 05 दांयी कलाई के पीछे, चोट संख्या 06 दांयी कलाई के ज्वाइंट में आई थी। सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी तथा ताजी थी। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा परिवादी नरेंद्र के मारपीट के दौरान आई चोटों के समर्थन में बयान दिये गये हैं। वहीं प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी डूंगराराम पीडब्ल्यू 08 को परीक्षित करवाया गया है, जिसके द्वारा अपनी साक्ष्य में उसके द्वारा किये गये अनुसंधान की पुष्टि करते हुए कथन किये गये हैं। उपरोक्त गवाहों की साक्ष्य से भी अभियोजन कहानी का समर्थन होता है तथा अभियुक्त के घटना में संलिप्त होने के तथ्य की पुष्टि होती है।

प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के रूप में गवाह राकेश पीडब्ल्यू 05 व मादाराम पीडब्ल्यू 07 को परीक्षित करवाया गया है। प्रकरण में गवाह परिवादी नरेंद्र द्वारा उसकी ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 व उसके न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में उक्त गवाहों के घटना पर उपस्थित होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई कथन नहीं किया गया है। उपरोक्त दोनों गवाहों द्वारा अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की गई है तथा गवाह मादाराम पीडब्ल्यू 07 अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही भी घोषित किया गया है।

इस संबंध में न्यायालय का मत है कि धारा 323 भादस के प्रकरण में मजरूब गवाह की साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Ramvilas VS State of Madhya Pradesh (2016) 16 SCC 323-** "Evidence of

injured witnesses is entitled to a great weight and very cogent and convincing grounds are required to discard their evidence".

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्य न्यायिक निर्णय ***भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह बनाम हरियाणा राज्य AIR 2011 SC 2552*** में यह प्रतिपादित किया गया है कि आहत साक्षी के बयानों का विधि की नजर में एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि उस गवाह की चोट घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति का पक्का प्रमाण है तथा वह गवाह अपने विरुद्ध हुए अपराध के लिए किसी अन्य व्यक्ति को झूठा फंसाने के आशय मात्र से अपने असल अपराधियों को दंड से बचाना नहीं चाहेगा, अतएव घायल गवाह की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी साक्ष्य निरस्त करने के कोई सुदृढ़ आधार अभिलेख पर ना हो।

इसके अतिरिक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 के गवाहों जसाराम पीडब्ल्यू 04 व प्रतापराम पीडब्ल्यू 06 को परीक्षित करवाया गया है। गवाह जसाराम पीडब्ल्यू अपनी साक्ष्य में नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 की पुष्टि करते हुए नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 पर हस्ताक्षर होने का कथन करता है। वहीं गवाह प्रतापराम अपनी साक्ष्य में मौका नक्शा की कार्यवाही उसके सामने नहीं होने का कथन करता है परंतु नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 पर अपने हस्ताक्षर होने का भी कथन करता है।

इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय एवं सुसंगत प्रतीत होती हैं तथा उसका आवश्यक बिन्दुओं पर पर्याप्त समर्थन उपलब्ध है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध आरोप संदेह से परे सिद्ध होते हैं।

आदेश

20. अतः अभियुक्त जितेंद्र उर्फ जितेश पुत्र अमराराम, निवासी चौधरीयों की वास कल्याणपुर पुलिस थाना कल्याणपुर, जिला बाड़मेर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323 में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। दंडादेश पक्षकारों को सुनने के पश्चात् निर्धारित किया जाएगा।

(रोज़ी कंसारा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बालोतरा

–:दंड के प्रश्न पर सुना गयाः–

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में दोषसिद्धी की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त द्वारा प्रकरण में अन्वीक्षा भी भुगती गयी है। आरोपित अपराध मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। अभियुक्त को किसी अन्य प्रकरण में परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया गया है, जिसके संबंध में उसके द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया हैं। अभियुक्त की उम्र व उस पर परिवारजन के पालन–पोषण के दायित्व के मध्य नजर अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों के विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाकर सख्त से सख्त सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। मामले के समग्र तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली का परिशीलन किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धी बाबत् प्रमाण पत्रावली पर नहीं है तथा अभियुक्त द्वारा किसी अन्य प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं होने व ना ही परिवीक्षा का लाभ लिये जाने के संबंध में शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अभियुक्त के आचरण, उम्र एवं समाज में उसके पुनः स्थापित होने के तथ्य पर विचार करते हुए अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित नहीं किया जाकर धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:दण्डादेशः–

अतः अभियुक्त जितेंद्र उर्फ जितेश को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किए जाने पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ दिया जाकर धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त न्यायालय के संतोषप्रद पृथक–पृथक दस हजार रूपये की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका एक वर्ष की समयावधि के लिए, जो इस आशय के हो कि वह उक्त अवधि में सदाचारी बना रहेगा तथा अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा और न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होकर दण्ड ग्रहण करेगा, प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें एवं अभियोजन व्यय के रूप में धारा 5 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के

तहत अभियुक्त 1000/– रूपये अक्षरे एक हजार रूपये जमा करा देवें तो उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे।

अभियुक्त द्वारा अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत प्रतिभू पत्र व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं।

धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार इस निर्णय के विरुद्ध दाखिल किसी अपील या याचिका के संबंध में अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के संबंध में दस हजार रूपये की राशि की प्रतिभू सहित जमानत बंधपत्र पेश करने के आदेश भी दिये जाते हैं। उक्त जमानत बंधपत्र छह मास तक प्रवृत रहेगा।

(रोज़ी कंसारा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बालोतरा

21. निर्णय आज दिनांक **15.07.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोज़ी कंसारा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बालोतरा